अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूप आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	38,672.87	42,712.92	44,371.66	50,605.41	57,380.34
	• कर-इतर राजस्व[2]	13,229.50	10,927.87	11,615.57	15,733.72	18,603.01
	योग	**51,902.37**	**53,640.79**	**55,987.23**	**66,339.13**	**75,983.35**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	19,817.04	27,915.93	33,555.86	37,028.01	41,852.35
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	19,607.50	18,728.40	19,482.91	23,940.04	20,037.32
	योग	**39,424.54**	**46,644.33**	**53,038.77**	**60,968.05**	**61,889.67**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**91,326.91**	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**1,27,307.18**	**1,37,873.02**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**57**	**53**	**51**	**52**	**55**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान एकत्रित राजस्व में सतत वृद्धि रही । वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 75,983.35 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,37,873.02 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा । वर्ष 2018-19 में शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी ।

---

[1] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें ।

[2] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें ।

[3] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें । वित्त लेखों में 'कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियां एवं अन्य विभाजित होने वाले संघीय कर' सम्मिलित है ।

[4] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में शीर्ष 1601 देखें ।

1.1.2 अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**	**संशोधित अनुमान वास्तविक**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2018-19 में 2017-18 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता**
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	24,120.00	27,635.00	27,767.60	18,800.00	15,900.00	
		वास्तविक	22,644.89	24,878.67	27,151.54	18,285.44	14,225.31	(-)22.20
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,505.00	1,615.00	1,227.40	700.00	600.00	
		वास्तविक	1,525.02	1,466.10	1,406.88	722.80	565.65	(-)21.74
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	संशोधित अनुमान	-	-	-	11,700.00	23,500.00	
		वास्तविक	-	-	-	12,137.02	22,938.33	(+)88.99
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	5,330.00	6,350.00	7,600.00	7,800.00	9,300.00	
		वास्तविक	5,585.77	6,712.94	7,053.68	7,275.83	8,694.10	(+)19.49
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	संशोधित अनुमान	156.66	105.00	103.34	92.58	104.07	
		वास्तविक	54.27	97.45	73.94	59.78	60.70	(+)1.54
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,823.35	2,785.00	2,701.00	3,346.15	4,035.94	
		वास्तविक	2,705.10	2,574.88	2,502.86	3,070.79	3,255.34	(+)6.01
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	520.00	560.00	445.66	611.27	609.99	
		वास्तविक	429.52	561.67	476.45	544.21	569.99	(+)4.74
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	2,800.00	3,300.00	3,650.00	4,300.00	5,000.00	
		वास्तविक	2,829.86	3,199.44	3,622.83	4,362.97	4,576.45	(+)4.89
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	1,697.18	2,000.00	2,172.00	3,500.00	2,339.50	
		वास्तविक	1,534.51	1,921.29	738.24	3,376.67	2,147.95	(-)36.39
7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	324.69	320.00	359.01	566.71	463.16	
		वास्तविक	288.58	272.47	314.69	363.86	289.94	(-)20.32
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	360.00	800.00	750.00	328.00	37.57	
		वास्तविक	956.52	847.72	803.28	340.78	50.79	(-)85.10
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	99.99	171.79	200.00	62.00	28.38	
		वास्तविक	113.68	170.96	220.08	63.93	5.14	(-)91.96
10	अन्य कर[5] इत्यादि	संशोधित अनुमान	50.17	50.20	10.00	10.00	10.00	
		वास्तविक	5.15	9.32	7.19	1.33	0.65	(-)51.13
	योग	संशोधित अनुमान	**39,787.04**	**45,691.99**	**46,986.01**	**51,816.71**	**61,928.61**	
		वास्तविक	**38,672.87**	**42,712.92**	**44,371.66**	**50,605.41**	**57,380.34**	**(+)13.39**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**15.52**	**10.45**	**3.88**	**14.05**	**13.39**	

विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में कर संग्रहण (प्रत्येक वर्ष) कम रहा । राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कम रहा ।

केन्द्रीय बिक्री कर (21.74 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (22.20 प्रतिशत) में कमी, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीज़ल पर कर की कटौती करने के कारण रही । विद्युत पर कर एवं शुल्क में कमी (36.69 प्रतिशत) इस तथ्य के कारण थी कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्वपत होने वाली ऊर्जा पर देय शहरी उपकर के भुगतान से छूट दी गई थी । राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि (88.99 प्रतिशत) इस तथ्य के कारण थी कि वर्ष 2017-18 में केवल नौ महीनों का राजस्व लेखों में लिया गया । जबकि वर्ष 2018-19 में पूरे वर्ष

[5] अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर के साथ कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है ।

का राजस्व लेखों में लिया गया। आबकारी शुल्क में वृद्धि (19.49 प्रतिशत) नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन के कारण रही।

1.1.3 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 में 2017-18 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	3,566.00	4,250.00	4,200.00	4,900.00	6,000.00	
	वास्तविक	3,635.46	3,782.13	4,233.74	4,521.52	5,301.48	(+)17.25
ब्याज प्राप्तियां	संशोधित अनुमान	1,959.83	1,860.58	2,002.97	4,924.14	5,810.44	
	वास्तविक	2,065.39	1,982.39	1,933.37	4,858.90	5,790.87	(+)19.18
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	920.88	885.72	859.39	888.31	1,171.34	
	वास्तविक	963.85	700.90	660.70	762.36	783.86	(+)2.82
पुलिस	संशोधित अनुमान	220.10	213.00	220.15	333.73	360.95	
	वास्तविक	240.03	162.02	190.78	296.56	345.38	(+)16.46
अन्य प्रशासनिक सेवायें	संशोधित अनुमान	107.19	162.44	222.35	228.41	258.82	
	वास्तविक	133.21	161.98	210.51	207.55	246.49	(+)18.76
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	संशोधित अनुमान	90.90	112.50	129.79	90.30	115.26	
	वास्तविक	67.08	68.72	112.77	277.72	179.31	(-)35.43
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	80.20	111.65	123.95	173.82	154.01	
	वास्तविक	89.31	133.75	113.00	182.26	147.45	(-)19.10
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	74.76	79.51	95.30	107.37	126.50	
	वास्तविक	71.74	97.89	84.31	109.26	125.92	(+)15.25
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	105.07	108.99	115.74	152.34	166.01	
	वास्तविक	116.43	119.21	125.39	130.67	163.59	(+)25.19
सहकारिता	संशोधित अनुमान	16.52	14.52	41.25	47.75	29.02	
	वास्तविक	16.88	14.64	44.10	63.11	22.24	(-)64.76
अन्य कर- इतर प्राप्तियां[6]	संशोधित अनुमान	6,327.04	4,072.75	4,458.43	4,813.11	5,774.05	
	वास्तविक	5,830.12	3,704.24	3,906.90	4,323.81	5,496.42	(+)27.12
योग	संशोधित अनुमान	**13,468.49**	**11,871.66**	**12,469.32**	**16,659.28**	**19,966.44**	
	वास्तविक	**13,229.50**	**10,927.87**	**11,615.57**	**15,733.72**	**18,603.01**	**(+)18.23**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**(-)2.55**	**(-)17.40**	**6.29**	**35.45**	**18.23**	

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 में कर-इतर राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान से कम रहा तथापि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में कुल 18.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। 'ब्याज प्राप्तियां' में बढ़ोतरी (19.18 प्रतिशत) मुख्यतः उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को दिये गये ऋण पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण रही। 'पुलिस' में वृद्धि (16.46 प्रतिशत) अन्य राज्य सरकारों, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, बैंकों, निजी कम्पनियों और अन्य एजेन्सियों हेतु तैनात पुलिस से अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'सार्वजनिक

[6] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

निर्माण' में वृद्धि (15.25 प्रतिशत) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए एजेन्सी/प्रतिशत शुल्क की अधिक प्राप्ति के कारण रही । 'सहकारिता' में कमी (64.76 प्रतिशत), पंजीकरण शुल्क एवं अन्य विविध शीर्षों में कम प्राप्तियों के कारण रही । 'वानिकी एवं वन्य जीवन' में कमी (19.10 प्रतिशत) तेंदूपत्ता की बिक्री में गिरावट के कारण रही ।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2019 को राजस्व बकाया की राशि ₹12,794.49 करोड़ थी, इसमें से ₹ 2,289.58 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2019 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2018 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	8,717.81	11,325.40	(+)29.91	1,611.26
2	परिवहन[7]	60.27	61.01	(+) 1.23	34.47
3	भू-राजस्व*	543.50	478.80	(-)11.90	274.68
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	454.02	494.72	(+)8.96	87.29
5	राज्य आबकारी	193.86	194.52	(+) 0.34	192.84
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	217.38	240.04	(+)10.42	89.04
योग		**10,186.84**	**12,794.49**	**(+)25.60**	**2,289.58**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

मांग राशि किन स्तरों पर बकाया थी इसकी जानकारी मांगी गई (मई 2019 एवं अगस्त 2019) लेकिन खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सिवाय जिन्होंने बताया कि ₹ 95.36 करोड़ वसूल नहीं किये जा सके क्योंकि ये राशियां अपीलीय प्राधिकारियों एवं न्यायालयों के विभिन्न स्थगन आदेशों से आच्छादित थी, जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में

[7] *31 मार्च 2018 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया से दिनांक 1 अप्रैल 2018 को दिखाई गयी बकाया मे अंतर था (परिवहन ₹ 1.02 करोड़ और भू राजस्व ₹ 27.81 करोड़) । अन्तर के कारण प्राप्त नहीं हुए ।

निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	10	5,37,964	5,37,974	5,37,935	39	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक[8]	3,988	5,819	9,807	4,827	4,980	49.22
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	6,102	11,645	17,747	12,166	5,581	68.55

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी प्रकरणों, जिनमें कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित है, का निस्तारण करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग की तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक व खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार कर अपवंचन के 1,838 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 1,791 प्रकरणों का निर्धारण/जांच की जाकर शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 3,057.47 करोड़ की मांग कायम की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹ 1,343.57 करोड़ की वसूली कर 88.80 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सूचना मांगे जाने पर (मई एवं जून 2019), भू-राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन, पंजीकरण एवं मुद्रांक ने ऐसे किसी भी प्रकरण के खोजे न जाने की जानकारी दी एवं खान और भू-विज्ञान विभाग ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। यह दर्शाता है कि उक्त विभागों में राजस्व छीजत की जानकारी जुटाने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है बावजूद इसके कि प्रिंट मीडिया द्वारा बिना परमिट के वाहनों के चलने, अवैध खनन, आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के रूपान्तरण न करने, शराब एवं अन्य ड्रग्स के अवैध परिवहन, से संबंधित प्रकरण लगातार प्रकाशित किये जाते रहे हैं, जिनमें कर अपवंचन की महत्वपूर्ण राशि निहित होती है।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्षों के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान प्रतिदाय की अनुमति दिये गये प्रकरण एवं वर्ष 2018-19

[8] न्यायिक प्रकरण।

के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	920	211.35	1,181	8.59
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,020	251.37	998	6.47
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये प्रतिदाय प्रकरण	3,759	359.30	1,205	9.79
	(ii) निरस्त प्रकरणों की संख्या	-	-	-	-
4	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	181	103.42	974	5.27

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए । यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं । निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं । कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है । उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है । गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि 7,424 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,407.25 करोड़ राशि के 2,281 अनुच्छेद जून 2019 के अन्त में बकाया थे । जून 2019 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,961	3,062	2,281
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	8,691	9,075	7,424
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	2,877.01	3,319.89	3,407.25

यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया अनुच्छेदों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि में बढ़ोतरी हुई है । अभी भी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के समय पर निस्तारण हेतु त्वरित अनुपालना की आवश्यकता है ।

1.6.1 जून 2019 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	448	1,768	442.22
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	262	1,148	90.74
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	89	358	329.78
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,067	2,684	358.34
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	116	287	73.95
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन, धातुकर्म उद्योग एवं पेट्रोलियम	299	1,179	2,112.22
योग			**2,281**	**7,424**	**3,407.25**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बतायी गयी त्रुटियों और अनियमितताओं के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[9] का गठन किया । वर्ष 2018-19 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में उल्लेखित है:

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	03	06	187	22.05
2	परिवहन	02	02	07	0.17
3	भू-राजस्व	03	06	22	4.66
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	03	18	581	20.79
5	राज्य आबकारी	03	-	-	-
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	03	03	203	108.58
योग		**17**	**35**	**1,000**	**156.25**

[9] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये । इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है ।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 156.25 करोड़ के 1000 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा उप-समिति की किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। परिवहन और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए 47 प्रारूप अनुच्छेदों को (13 अनुच्छेदों में संकलित), संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अप्रैल और फरवरी 2020 के मध्य प्रेषित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा एक प्रारूप अनुच्छेद का उत्तर नहीं दिया गया (मई 2020)।

1.6.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 159 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 25 मार्च 2015 तथा 17 जुलाई 2019 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 42 दिवस के विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 119 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 50 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को दस[10] प्रतिवेदनों (2018-19) में सम्मिलित किया गया।

[10] दस प्रतिवेदनः वाणिज्यक कर (1), भू - राजस्व (3), खान एवं भू - विज्ञान (1), मोटर वाहन कर (2), पंजीयन एवं मुद्रांक (2), आबकारी (1) से सम्बंधित है।

1.7 खान एवं भू-विज्ञान विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2014-15	308	1,232	2,164.49	41	286	152.30	27	258	621.52	322	1260	1,695.27
2015-16	322	1,260	1,695.27	31	240	287.33	18	188	94.80	335	1312	1,887.80
2016-17	335	1,312	1,887.80	50	282	177.32	16	256	393.81	369	1338	1,671.31
2017-18	369	1,338	1,671.31	34	267	682.09	7	107	36.68	396	1498	2,316.72
2018-19 जून 2019 तक	396	1,498	2,316.72	11	76	32.88	108	395	237.38	299	1179	2,112.22

सरकार को पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन एक निश्चित अन्तराल के बाद करना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा उप-समिति की तीन बैठकें आयोजित की गयीं और 203 अनुच्छेद निर्णित किये गये।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण

तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गयी राशि	स्वीकार किये गये प्रकरणों में 30 जून 2019 तक वसूली की समेकित स्थिति
2013-14	3	92.00	2	65.03	0.07	9.81
2014-15	9	39.49	8	16.73	0.55	2.72
2015-16	9	23.98	8	12.95	0.05	1.25
2016-17	4	52.08	4	40.86	0.33	0.88
2017-18	5	196.46	4	55.33	–	1.69
योग	**30**	**404.01**	**26**	**190.90**	**1.00**	**16.35**

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये ₹ 190.90 करोड़ में से पांच वर्षों की अवधि के दौरान केवल ₹ 16.35 करोड़ वसूल किये गये । अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 8.56 प्रतिशत की वसूली की गयी ।

यह अनुशंषा की जाती है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग स्वीकार की गई राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाये ।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालय को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया था । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा विभागों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों के दक्षता सूचकांकों, बजट प्रावधानों, राजस्व की प्रवृत्ति, इकाई का विगत तीन वर्षों का औसत राजस्व, आन्तरिक लेखापरीक्षा में पाये गये मामलों, मीडिया रिपोर्ट, राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, विगत लेखापरीक्षा अवधि, विगत लेखापरीक्षा में पाये गए प्रकरण, विधान में किये गए संशोधन आदि शामिल है, के आधार पर तैयार की गयी थी । वर्ष 2018-19 में कुल 2,073 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 455 इकाइयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों एवं अन्य कार्यालयों की 455 इकाइयों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,010 प्रकरणों में ₹ 427.64 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम

[11] कुल 628 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गए जिनमे 173 क्रियान्वयन इकाइयां भी शामिल है।

आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 17,419 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 176.89 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 62.46 करोड़ राशि के 5,457 प्रकरण वर्ष 2018-19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2019 तक संबंधित विभागों ने 8,240 प्रकरणों में ₹ 24.78 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन में समाहित लेखापरीक्षा परिणाम

इस प्रतिवेदन में 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 13 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 255.51 करोड़ है, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 56.53 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से VII में की गई है।

विभागों/सरकार ने ₹ 186.42 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की (मार्च 2020)। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा मार्च 2020 तक ₹ 29.19 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 24.78 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 33.04 करोड़ की वसूली की इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 87.01 करोड़ थी।